छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

क्रमांक एफ 9–1 /10/1/6 रायपुर, दिनांक 14 मई, 2010

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
   अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
   समस्त संभागीय आयुक्त,
   समस्त विभागाध्यक्ष
   समस्त जिलाध्यक्ष
   छत्तीसगढ़

2. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक
   मान. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन

विषयः– मंत्री स्थापना के अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन।

—0—

1/ माननीय मंत्रिगण के अधीन निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली मान. मंत्रिगण द्वारा लिखी जाती है। इस संबंध में निदेशक सिद्धांतों का निर्धारण सा.प्र.विभाग के परिपत्र क्रमांक डी. 455/2152/98/9/एक, दिनांक 10 मार्च 1999 द्वारा किया गया है।

2/ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि मंत्री स्थापना में पदस्थ शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली पर संबंधित मान. मंत्री द्वारा मतांकन किये जाने के पश्चात उनके मूल विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी की हैसियत से टीप अंकित की जा रही है, जो उचित नहीं है। अतः स्पष्ट किया जाता है, कि मंत्री स्थापना में पदस्थ शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली पर केवल संबंधित मान. मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव द्वारा किया गया मतांकन ही अंतिम होगा।

3/ मान. मंत्री गण के पद पर न रहने की स्थिति में प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) जो अधिकारी या कर्मचारी मंत्री स्थापना में पदस्थ है तथा उनके द्वारा वित्तीय वर्ष में 4 माह या उससे अधिक अवधि तक कार्य किया गया है, ऐसे मामलों में चतुर्थ श्रेणी एवं निज सहायक तक के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में निज सचिव मतांकन करें। यदि मंत्री स्थापना में कोई विशेष सहायक है, तब विशेष

सहायक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में टिप्पणी दर्ज करें, जहां निज सचिव न हो, वहां विशेष सहायक सीधे गोपनीय चरित्रावली लिखेंगे।

(2) निज सचिव की गोपनीय चरित्रावली विशेष सहायक द्वारा लिखी जाए।

(3) निज सचिव (जहां विशेष सहायक न हो), विशेष सहायक अथवा ओ.एस.डी. जिन्होने मंत्री स्थापना में 4 माह या अधिक कार्य किया है, यदि मान. मंत्री अपने पद पर नहीं रहते हैं, तब ऐसे अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली वे पद मुक्ति के दिनांक से एक माह के भीतर लिख सकेंगे। उक्त अवधि में गोपनीय चरित्रावली में मतांकन न करने की स्थिति में पिछले 3 वर्ष की गोपनीय चरित्रावलियों के औसत के आधार पर संबंधित अधिकारी की उस वर्ष की गोपनीय चरित्रावली में श्रेणीकरण, संबंधित विभाग के सचिव द्वारा किया जावेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9–1 /10/1/6 रायपुर, दिनांक 14 मई, 2010

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
3. उप सचिव, महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर
4. उप पंजीयक, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ रायपुर
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
6. संचालक जनसंपर्क रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रपत्र

कर्मचारी जिसके संबंध में गोपनीय चरित्रावली लिखी जाना है।	कार्यालय जिसमें फार्म तैयार किया जायेगा।	प्रथम मत (प्रतिवेदक अधिकारी)	प्रस्तुतकर्ता (समीक्षक अधिकारी)	जिसे प्रस्तुत की जायेगी (स्वीकारकर्ता अधिकारी)	जिसके द्वारा प्रतिकूल मत सूचित किया जायेगा	स्थान जहां रखी जायेगी
1	2	3	4	5	6	7
मंत्री स्थापना में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी	मा. मंत्री कार्यालय	संबंधित मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव	---	---	संबंधित प्रशासकीय कार्यालय प्रमुख	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का प्रशासकीय कार्यालय